

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(8)नविवि / 2020

जयपुर, दिनांक:

11 JAN 2023

आदेश

विभागीय समस्ख्यक आदेश दिनांक 25.08.2022 के द्वारा Rajasthan Sub-Regional Plan-2021 में प्राकृतिक संरक्षण जोन (N.C.Z.) में शमशान/कब्रिस्तान को किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है की उक्त आदेश एनसीआर क्षेत्र के अन्तर्गत Rajasthan Sub-Regional Plan-2021 के संबंध में ही जारी किया गया है, जो कि एनसीआर क्षेत्र पर ही लागू है। राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

~~(मनीष गायल)~~
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम